उत्तर प्रदेश शासन

1985-86 के आय-व्ययक

पर

542
352.1252
UTT-A

श्वेत पत्र

उत्तर प्रदेश शासन

1985-86 के आय-व्ययक पर

श्वेत-पत्र

इस श्वेत-पत्र में 1983-84 के वास्तविक आंकड़ों और 1984-85 के पुनरीक्षित अनुमानों पर आधारित राज्य की वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा नीचे दी गई है। इसमें 1985-86 के आय-व्ययक की मुख्य-मुख्य बातें भी बताई गई हैं।

1983-84 का लेखा

नीचे दिये हुये विवरण-पत्र में 1983-84 के लेखे संक्षेप में दिये गये हैं:---

(करोड़ रुपयों में)

1	मूल आय-व्ययक अनुमान 2	वास्तविक आंकड़े 3
प्रारम्भिक शेष	(-) 40.13	(-) 11.69
1---समेकित निधि		
प्राप्तियां --		
राजस्व लेखे की प्राप्तियां	2565.65	2655.42
पूंजी लेखे की प्राप्तियां		
कर्जों से प्राप्तियां	1183.47	1729.69
कर्जों और पेशगियों की वसूलियां	57.67	62.22
योग, पूंजी लेखे की प्राप्तियां ..	1241.14	1791.91
योग, प्राप्तियां ..	3806.79	4447.33
व्यय---		
राजस्व लेखे का व्यय	2501.46	2761.16
पूंजी लेखे का व्यय		
पूंजीगत परिव्यय	392.91	541.38
कर्जों का प्रतिदान	755.39	1174.06
कर्जे और पेशगियां	368.66	497.35
आकस्मिकता निधि को अन्तरण	..	..
योग, पूंजी लेखे का व्यय ..	1516.96	2212.79
योग, व्यय ..	4018.42	4973.95
समेकित निधि में घाटा (-)/बचत (+)	(-) 211.63	(-) 526.62
2---आकस्मिकता निधि (शुद्ध) ..	..	(+) 20.81
3---लोक लेखा (शुद्ध) ..	132.47	(+) 523.09
समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम ..	(-) 79.16	(+) 17.28
अंतिम शेष	(-) 119.29	(+) 5.59*

*भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष का अंतिम शेष (-) 138.61 करोड़ रुपये था। लेखों में प्रदर्शित 5.59 करोड़ रु0 का अंतिम 'शेष कर्जों से प्राप्तियों' के अन्तर्गत रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम के अधीन पुरतांकित 140.31 करोड़ रु0 की प्राप्ति को हिसाब में लेकर है।

NIEPA DC
D02516
Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No. D-2516
Date 4/6/85

राजस्व लेखे की प्राप्तियां :—

वर्ष 1983–84 के मूल अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में समग्र रूप से 89.77 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जो निम्नलिखित न्यूनाधिकताओं के कारण हैं :—

(लाख रुपयों में)

	आय-व्ययक अनुमान 1983-84	वास्तविक 1983–84	न्यूनाधिकतायें वृद्धि (+) कमी (–)
1—केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश व अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क को मिलाकर	8,79,04	6,82,12	(–) 1,96,92
2—राज्य सरकार का कर राजस्व (जिसमें भू-राजस्व सम्मिलित है, किन्तु अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क में राज्य का अंश सम्मिलित नहीं है। ..	9,40,14	9,92,10	(+) 51,96
3—भारत सरकार से सहायक अनुदान और अन्य प्राप्तियां	3,95,47	5,76,45	(+) 1,80,98
4—अन्य प्राप्तियां	3,51,00	4,04,75	(+) 53,75
योग ..	25,65,65	26,55,42	(+) 89,77

लेखों में संघीय उत्पादन शुल्क (आधारिक और अतिरिक्त) तथा आयकर के विभाज्य समुच्चय में राज्य सरकार के अंश में क्रमशः 1,83,26 लाख रु0 तथा 13,70 लाख रु0 की कमी प्रदर्शित है। होटल प्राप्तियों पर कर को समाप्त कर दिये जाने के कारण इस मद के समक्ष प्राप्तियों में 13 लाख रु0 की कमी हुई। सम्पदा शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियां 17 लाख रु0 अधिक रहीं।

मुख्यतः करापवंचन की रोकथाम के सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाये जाने तथा कर देने वाले व्यापारियों की संख्या में वृद्धि तथा केन्द्रीय तथा राज्य विक्रय-कर अधिनियमों के अन्तर्गत उगाहियों तथा मोटर स्पिरिट एवं लुब्रीकेन्टस की बिक्री पर कर के अन्तर्गत पेट्रोल की बिक्री पर कर में वृद्धि होने के कारण विक्रय-कर के अधीन प्राप्तियां 36,40 लाख रु0 अधिक रहीं। मुख्यतः स्टाम्पों की बिक्री तथा विलेखों के मूल्यांकन पर शुल्क में अधिक प्राप्तियां होने के कारण स्टाम्प तथा निबन्धन शुल्क के अधीन प्राप्तियां 1556 लाख रु0 अधिक रहीं। मुख्यतः यात्रियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होने के फलस्वरूप करों की वसूली एवं पथकर से अधिक आय होने के कारण माल और यात्रियों पर कर के अधीन प्राप्तियां 417 लाख रु0 अधिक रहीं। बिजली पर कर और शुल्क के अधीन प्राप्तियों में 268 लाख रु0 की वृद्धि रही। कतिपय नए सिनेमागृह खुल जाने के फलस्वरूप मनोरंजन कर के अन्तर्गत कर की उगाही में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियां 157 लाख रु0 अधिक रहीं। इसके विपरीत भू-राजस्व, राज्य उत्पादन शुल्क तथा यानों पर कर के अन्तर्गत प्राप्तियों में क्रमशः 515 लाख रु0, 186 लाख रु0 और 135 लाख रु0 की कमी रही।

राज्य आयोजनागत योजनाओं, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं, आयोजनेतर योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के निमित्त भारत सरकार से मिलने वाली राज सहायता में क्रमशः 8237 लाख रु0, 4706 लाख रु0, 2853 लाख रु0 और 2302 लाख रु0 की वृद्धि रही।

मुख्यतः वाणिज्यिक उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं से ब्याज प्राप्तियां मूलानुमान की तुलना में 4025 लाख रु0 अधिक रही कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के कार्यान्वयन के अन्तर्गत लेखा प्रक्रिया में परिवर्तन किए जाने के कारण सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत प्राप्तियों में 927 लाख रु0 की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी के टिकटों की बिक्री से अधिक आय प्राप्त होने के कारण प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत प्राप्तियां 694 लाख रु0 अधिक रहीं। मुख्यतः पंचायतीराज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण सामुदायिक विकास के अन्तर्गत प्राप्तियां 364 लाख रु0 अधिक रहीं। मुख्यतः टेण्डर फार्म की बिक्री तथा सेन्टेज की वसूली से अधिक आय होने के कारण सार्वजनिक निर्माण-कार्य के अन्तर्गत प्राप्तियां 315 लाख रुपये अधिक रहीं। मुख्यतः राजकीय नौ-घाटों तथा उन नौ-घाटों जिनका प्रबन्ध स्थानीय निकाय करती हैं, से अधिक आय प्राप्त होने के कारण सड़कें तथा पुल के अन्तर्गत प्राप्तियां 288 लाख रु0 अधिक रहीं। खाने और खनिज तथा उद्योग के अन्तर्गत प्राप्तियां क्रमशः 222 लाख रु0 तथा 197 लाख रु0 अधिक रहीं। भारत तिब्बत सीमा पर सुरक्षा दल के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला अंशदान तथा अन्य राज्यों से पी0ए0सी0 कम्पनियों की प्रतिनियुक्ति के कारण होने वाली वसूलियां मूलानुमान से अधिक होने के कारण पुलिस के अन्तर्गत प्राप्तियां 189 लाख रु0 अधिक रहीं। लेखन सामग्री एवं मुद्रण, सहकारिता तथा आवासीय भवन के अन्तर्गत प्राप्तियों में भी क्रमशः 113 लाख रु0, 75 लाख रु0 तथा 71 लाख रु0 की वृद्धि रही। इसके विपरीत जल की मांग अपेक्षाकृत कम होने के कारण सिंचाई, नौ-परिवहन जलोत्सारण एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं के अन्तर्गत प्राप्तियां 1025 लाख रु0 कम रहीं। लोक सभा तथा विधान सभा निर्वाचन में प्रयोगार्थ इलेक्ट्रोनिक ओटिंग मशीनें न क्रय किए जाने के कारण केन्द्र सरकार से मिलने वाली पचास प्रतिशत सहायता न प्राप्त हो सकी। मुख्यतयः इस कारण अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत प्राप्तियां 575 लाख रु0 कम रहीं। मुख्यतः उपभोक्ताओं/खरीदारों द्वारा हटाई गई इमारती लकड़ी की लाटों तथा वन उपजों की बिक्री से अपेक्षाकृत कम आय होने के कारण वन के अन्तर्गत प्राप्तियों में 160 लाख रु0 की कमी रही। लाभांश तथा लाभ, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन तथा बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं के

अन्तर्गत मूलानुमान की तुलना में प्राप्तियां क्रमश: 130 लाख रु0, 124 लाख रु0, 71 लाख रु0, 61 लाख रु0 तथा 58 लाख रुपये कम रहीं ।

पूंजी लेखे की प्राप्तियां--

ऋणों से प्राप्तियां--

राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में मूल आय-व्ययक में यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष में कुल 1183.47 करोड़ रु0 के ऋण प्राप्त होंगे जिससे रिजर्व बैंक से प्राप्त किये जाने वाले अर्थोपाय अग्रिमों की 500 करोड़ रु0 की धनराशि भी सम्मिलित की गई थी किन्तु लेखों के अनुसार वर्ष में ऋणों से कुल प्राप्ति 1729.69 करोड़ रु0 रही जिसमें रिजर्व बैंक से प्राप्त 824.25 करोड़ रु0 के अर्थोपाय अग्रिमों की धनराशि भी सम्मिलित है। इस राशि को निकाल कर वर्ष में ऋणों की वास्तविक प्राप्तियां 905.44 करोड़ रु0 है जो मूल अनुमानों से 221.97 करोड़ रु0 अधिक हैं ।

ऋणों के अन्तर्गत बाजार कर्ज के 150.62 करोड़ रु0 के मूल अनुमान के समय 151.61 करोड़ रु0 प्राप्त हुआ। स्टेट बैंक से खाद्यान्न व्यापार हेतु उपलब्ध कैश क्रेडिट की सुविधा के अधीन 36 करोड़ रु0 के अनुमान के समक्ष 46.88 करोड़ रु0 का ऋण प्राप्त हुआ। भारतीय जीवन बीमा निगम से मूलत: 6.10 करोड़ रु0 का अनुमान लगाया गया था परन्तु वास्तव में उक्त निगम से लेखे में कोई ऋण प्राप्ति प्रदर्शित नहीं है। अन्य संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा भारत के जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन से मूल बजट में अनुमानित क्रमश: 9.34 तथा 3.05 करोड़ रु0 की प्राप्ति के समय वास्तविक प्राप्ति 27.06 तथा 1.00 करोड़ रु0 की हुई।

केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋणों के 478.33 करोड़ रु0 के मूल अनुमान की तुलना में वास्तविक प्राप्ति 680.06 करोड़ रु0 की हुई आयोजनेतर ऋणों के अन्तर्गत अल्प बचत तथा खाद्य उर्वरक के लिये अनुमानित 110 करोड़ रुपये तथा 40 करोड़ रुपये के समक्ष वास्तविक प्राप्ति 189.23 तथा 44 करोड़ रु0 की हुई। राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये 315.83 करोड़ रु0 के अनुमान के समक्ष 334.45 करोड़ रु0 का ऋण प्राप्त हुआ। केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये 2.87 करोड़ रु0 का मूल अनुमान था परन्तु वास्तव में 6.10 करोड़ रु0 का ऋण प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त लेखे में 95 करोड़ की प्राप्ति केन्द्र सरकार से आलोच्य वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थोपाय अग्रिमों की प्राप्ति भी प्रदर्शित है जिसके लिये मूल बजट में कोई व्यवस्था नहीं थी।

ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां--

राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूली के सम्बन्ध में 57.67 करोड़ रुपये के मूल अनुमान की तुलना में वास्तविक वसूली 62.22 करोड़ रु0 की हुई। वसूलियों में वृद्धि मुख्यत: सहकारिता के लिये ऋण के अन्तर्गत हुई।

राजस्व लेखा का व्यय--

वर्ष 1983-84 के लिए मूल आय-व्ययक में राजस्व व्यय हेतु 2501.46 करोड़ रु0 की व्यवस्था थी जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं एवं केन्द्र द्वारा पुरोनिर्वानित योजनाओं और राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए आयोजनागत पक्ष में 496.94 करोड़ रु0 और आयोजनेतर पक्ष में 2004.52 करोड़ रु0 अनुमानित था किन्तु वर्ष के दौरान व्यय में 259.70 करोड़ रु0 की वृद्धि होने के फलस्वरूप राजस्व व्यय 2761.16 करोड़ रु0 हुआ।

आयोजनागत पक्ष में वास्तविक व्यय 669.99 करोड़ रु0 रहा जो मूल अनुमान से 173.05 करोड़ रु0 अधिक है। मुख्यतय: ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कारन्टी कार्यक्रम आरम्भ करने के फलस्वरूप सामुदायिक विकास के अन्तर्गत 6004 लाख रुपये अधिक व्यय किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता उपलब्ध होने के फलस्वरूप लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल प्रदाय के अन्तर्गत 4874 लाख रु0 का व्यय अधिक रहा। मुख्यत: लघु तथा सीमान्त कृषक को कृषि उत्पादन बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के कारण कृषि के अन्तर्गत 2471 लाख रु0 का व्यय अधिक रहा। मुख्यतय: पर्वतीय क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता दिए जाने के फलस्वरूप विशेष और पिछड़े क्षेत्र के अन्तर्गत 1247 लाख रु0 का व्यय किया गया। लखनऊ में स्थापित होने वाले पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स के अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप चिकित्सा के अन्तर्गत व्यय में 982 लाख रु0 की वृद्धि हुई। आवश्यकता के आधार पर सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (706 लाख रु0) ग्रामोद्योग और (लघु उद्योग) 665 लाख रु0) क्षेत्र विकास (513 लाख रु0) सहकारिता 369 लाख रु0 शिक्षा (342 लाख रु0) भू-राजस्व (275 लाख रु0) पशुपालन (194 लाख रु0), डेरी विकास (140 लाख रु0), श्रम एव सेवायोजन (139 लाख रु0), मत्स्य उद्योग (60 लाख रु0) तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (54 लाख रुपये) के अन्तर्गत व्यय अधिक रहा। दूसरी ओर सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किए जाने वाले महंगाई भत्ते के लिए किए गए एकमुश्त प्राविधान की राशि को सम्बन्धित कार्यात्मक शीर्षकों से ही वहन किए जाने के कारण सचिवालय सामान्य सेवायें के अन्तर्गत 1701 लाख रु0 की बचत हुई। परिवार नियोजन के अन्तर्गत आवश्यकता के आधार पर व्यय में 180 लाख रु0 की बचत रही।

आयोजनेतर पक्ष में 2004.52 करोड़ रु0 के मूल अनुमान के विरुद्ध वास्तविक व्यय 2091.17 करोड़ रु0 हुआ जो 86.65 करोड़ रु0 अधिक है। मुख्यतय: सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किए जाने वाले महंगाई भत्ते के लिए किए गए एकमुश्त प्राविधान की राशि को सम्बन्धित कार्यात्मक शीर्षकों से वहन किए जाने के कारण विभिन्न कार्यात्मक शीर्षकों में व्यय की वृद्धि हुई। इस वृद्धि को सम्मिलित करते हुए अथवा अन्य कारण से बड़ी-बड़ी अधिकतायें निम्न प्रकार हैं। अशासकीय विद्यालयों को अधिक सहायता भी उपलब्ध कराए जाने के कारण शिक्षा के अन्तर्गत 5581 लाख रु0 की वृद्धि हुई। उद्योग के अन्तर्गत 3381 लाख रु0 का व्यय अधिक रहा। मुख्यतय: बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराए जाने के कारण प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत 2461 लाख रु0 का व्यय अधिक हुआ। पुलिस तथा लघु सिंचाई के अन्तर्गत क्रमश: 2308 लाख रु0 तथा 1796 लाख रु0 का व्यय अधिक रहा। मुख्यतया सार्वजनिक अधिष्ठान के व्यय के

के लिए अन्यत्र किए गए प्राविधान को सड़के तथा पुल के अन्तर्गत वहन किए जाने के फलस्वरूप इस शीर्षक के अन्तर्गत 1781 लाख रुपये का व्ययाधिक्य हुआ। चिकित्सा, सामुदायिक विकास एवं भू-राजस्व के अन्तर्गत क्रमशः 1487 लाख रु0, 1413 लाख रु0, एवं 1039 लाख रु0 का व्ययाधिक्य हुआ। अतिरिक्त महंगाई भत्ते की स्वीकृति के कारण कृषि (1034 लाख रु0), लोक स्वास्थ्य सफा और जल प्रदाय (990 लाख रु0), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (865 लाख रु0), सिंचाई, नौ-परिवहन, (जल निकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (791 लाख रु0), विविध सामान्य सेवायें (715 लाख रु0), पशुपालन 462 लाख रुपये), जेल (446 लाख रु0), स्थानीय और पंचायतीराज संस्थाओं को प्रतिकर और अभ्यर्पण (373 लाख रु0), श्रम और रोजगार (314 लाख रु0), बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं (292 लाख रु0), जिला प्रशासन (280 लाख रु0), न्याय प्रशासन (279 लाख रु0), सिविल विमानन (263 लाख रु0), क्षेत्र विकास (228 लाख रु0), अन्य प्रशासनिक सेवायें (158 लाख रु0), सूचना और प्रसार (142 लाख रु0), सहकारिता (118 लाख रु0), राज्य उत्पादन शुल्क (101 लाख रुपये), स्टाम्प एवं रजिस्ट्री के अन्तर्गत (72 लाख रु0), आग से बचाव और उसका नियंत्रण के अन्तर्गत (62 लाख रु0), तथा आवास (51 लाख रु0) व्ययाधिक्य हुआ। इसके विपरीत मुख्यतः सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किए जाने वाले महंगाई भत्ते के लिए किए गए एकमुश्त प्राविधान की राशि को सम्बन्धित कार्यात्मक शीर्षकों से वहन किए जाने के फलस्वरूप सचिवालय सामान्य सेवायें के अन्तर्गत। (5727 लाख रु0) की बचत रही। आवश्यकता के आधार पर पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ तथा ब्याज की अदायगियां के अन्तर्गत क्रमशः (1659 लाख रु0) तथा (1407 लाख रु0) की बचत हुई। सार्वजनिक अधिष्ठान व्यय के विभिन्न शीर्षक के अन्तर्गत अनुपातिक वितरण के कारण सार्वजनिक निर्माण-कार्य के अन्तर्गत 1598 लाख रुपये की बचत हुई। मुख्यतयः लोक सभा तथा विधान सभा निर्वाचन में प्रयोगार्थ इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीने न क्रय किए जाने के कारण निर्वाचन के अन्तर्गत 936 लाख रु0 की बचत हुई। विक्रय-कर (165 लाख रु0), ग्रामोद्योग और लघु उद्योग (118 लाख रु0) तथा लेखन सामग्री एवं मुद्रण (51 लाख रु0) में भी विभिन्न कारणों से बचत रही।

पूंजीगत व्यय--

मूल आय-व्ययक में पूंजीगत व्यय के लिए आयोजनागत पक्ष में 402.15 करोड़ रु0 की व्यवस्था थी और यह अनुमान लगाया गया था कि आयोजनेतर पक्ष की वे प्राप्तियां जिन्हें व्यय में समायोजत किया जाता है, व्यय से 9.24 करोड़ रु0 अधिक रहेगी और फलस्वरूप समेकित निधि पर पूंजीगत व्यय का शुद्ध भार 392.91 करोड़ रु0 ही रहेगा किन्तु वास्तविक व्यय के आधार पर शुद्ध पूंजीगत व्यय 541.38 करोड़ रु0 हुआ जिसमें 517.46 करोड़ रु0 आयोजनागत पक्ष का तथा 23.92 करोड़ रु0 आयोजनेतर पक्ष का है।

आयोजनागत पक्ष में 115.31 करोड़ रु0 की वृद्धि मुख्यरूप से निम्न न्यूनाधिकताओं के कारण है: सिंचाई, नौ-परिवहन, जलोत्सारण एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय में हुई 2009 लाख रु0 की वृद्धि का मूल कारण सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण-कार्य में गतिशीलता लाना तथा निर्माण सामग्री का अधिक महंगाई होना है। नदी सड़कों तथा पुलों के निर्माण व पुरानी सड़कों के रख-रखाव पर आवश्यकतानुसार अधिक व्यय होने के कारण सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 1446 लाख रु0 की वृद्धि रही। पर्वतीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक भवनों के निर्माण तथा सड़कों में के पुनर्निर्माण पर अधिक व्यय किए जाने के कारण विशेष तथा पिछड़े क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय में (1159 लाख रु0) की वृद्धि हुई। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय में 1115 लाख रु0 की वृद्धि रही। राज्य वस्त्र निगम तथा अन्य संस्थाओं के अंशकों में अधिक धन लगाने के मूल कारण से उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय मे 943 लाख रु0 का व्यय अधिक हुआ। राज्य सड़क परिवहन निगम के अंशकों में अधिक पूंजी विनियोजन किए जाने के कारण सड़क और जल परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800 लाख रु0 अधिक रहा। सहकारी चीनी मिलें तथा अन्य सहकारी संस्थाओं में अपेक्षाकृत अधिक विनियोजन क कारण सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय में 666 लाख रु0 की वृद्धि रही। मुख्यतया 'पिकप" के अंशकों में विनियोजन किए जाने के कारण औद्योगिक अनुसन्धान और विकास पर पूंजीगत परिव्यय 504 लाख रु0 अधिक रहा। लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल सम्पूर्ति पर पूंजीगत परिव्यय में 430 लाख रु0 की वृद्धि रही। शिक्षा विभाग से सम्बन्धित कतिपय भवनों के निर्माण के लिए व्यवस्था किए जाने के मुख्य कारण से शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 373 लाख रु0 अधिक रहा। वित्तीय निगम के अंशकों में विनियोजन किए जाने के कारण औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश 300 लाख रु0 अधिक रहा। आवास तथा पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय में क्रमशः (237 लाख रु0) और (224 लाख रु0) की वृद्धि रही। खनिज विकास निगम के अंशकों को क्रय किए जाने के कारण खनन और धातु कर्मक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय में 200 लाख रु0 की वृद्धि रही। मुख्यतयः आलू के बीज संग्रह हेतु शीतगृह के निर्माण की व्यवस्था किए जाने के कारण कृषि पर पूंजीगत परिव्यय 151 लाख रुपये अधिक रहा। ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय (142 लाख रु0), चिकित्सा पर पूंजीगत परिव्यय (135 लाख रु0), लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (117 लाख रु0), जल एवं विद्युत् विकास सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (100 लाख रु0), अन्य परिवहन और संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 81 लाख रु0, तथा डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 67 लाख रु0 अधिक रहा। इसके विपरीत लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, सामुदायिक विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा मशीनरी और इंजनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय में क्रमश 91 लाख रु0, 70 लाख रु0 तथा 60 लाख रु0 की बचत रही।

आयोजनेतर पक्ष का शुद्ध वास्तविक व्यय 33.16 करोड़ रु0 अधिक रहा। मुख्यतयः कतिपय विभागीय भवनों के निर्माण की व्यवस्था किए जाने के कारण सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय में 2788 लाख रु0 की वृद्धि रही तथा सप्तम वित्त आयोग की शासन के विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राजस्व प्रशासन के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था किए जाने के कारण आवास पर पूंजीगत परिव्यय 346 लाख रु0 अधिक रहा। सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में क्रमशः 1049 लाख रु0, 179 लाख रु0, अधिक रहा। खाद्य विभाग की वे प्राप्तियां जो व्यय में समायोजित की जाती है, के व्यय से अधिक रहने की आशा थी किन्तु प्राप्तियां अपेक्षाकृत कम होने के कारण खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय 613 लाख रु0 अधिक रहा। दूसरी ओर कृषि विभाग में उर्वरकों आदि की बिक्री से

प्राप्तियां, जिन्हें व्यय में से घटा दिया जाता है, अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण कृषि पर पूंजीगत परिव्यय 1757 लाख रु0 कम रहा। लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल सम्पूर्ति पर पूंजीगत परिव्यय (186 लाख रु0) तथा अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (132 लाख रु0 कम रहा)।

ऋणों का प्रतिदान

राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों के सम्बन्ध में प्रतिदान के लिये मूल आय-व्ययक में 755.39 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गई थी जिसके समक्ष वास्तविक प्रतिदान 1174.06 करोड़ रु0 का रहा। प्रतिदान में अप्रत्याशित वृद्धि मुख्यत: रिजर्व बैंक से लिये गये अर्थोपाय अग्रिमों से सम्बन्धित 818.84 करोड़ रु0 की समायोजन प्रविष्टि के कारण है जिसके लिये मूल बजट में 500 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गई थी। प्रतिदान के बजट अनुमानों से तथा वास्तविक आंकड़ों से रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों से सम्बन्धित आंकड़े निकाल कर 255.39 करोड़ रु0 के बजट अनुमानों के समक्ष वास्तविक प्रतिदान 355.22 करोड़ रु0 का हुआ जो मूल प्राविधान से 99.83 करोड़ रु0 अधिक है। मुख्य वृद्धि केन्द्रीय सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त 95.00 करोड़ रु0 के अर्थोपाय अग्रिम के भुगतान के कारण है जिसके लिये मूल बजट में कोई व्यवस्था नहीं थी।

बाजार ऋणों के प्रतिदान के लिये कुल 19.14 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया था जबकि बाण्ड होल्डर्स ने वास्तव में 16.92 करोड़ रु0 का ही भुगतान प्राप्त किया। भारत के जीवन बीमा निगम से ऋण के प्रतिदान हेतु 1.61 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया था जबकि वास्तविक प्रतिदान 1.67 करोड़ रु0 का हुआ। अन्य संस्थाओं से ऋण के प्रतिदान हेतु 4.17 करोड़ रु0 के बजट प्राविधान की तुलना में वास्तविक प्रतिदान 4.48 करोड़ रु0 का हुआ।

ऋणों और अग्रिमों का संवितरण—

मूल अनुमानों में ऋणों के संवितरण के लिये 368.66 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गई थी जिसमें 339.95 करोड़ रु0 की धनराशि आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले ऋणों के लिये थी और शेष 28.71 करोड़ रु0 की धनराशि आयोजनेतर ऋण के लिये थी। वर्ष के दौरान वास्तव में 497.35 करोड़ रु0 की धनराशि वितरित की गई जिसमें 407.22 करोड़ रु0 की धनराशि आयोजनागत योजनाओं के लिये तथा 90.13 करोड़ रु0 की धनराशि आयोजनेतर मदों के लिये वितरित की गई। आयोजनागत पक्ष में उक्त वृद्धि मुख्यत: नगर विकास, सहकारिता, विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र, कृषि औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास, ग्राम एवं लघु, उद्योग, मशीनरी तथा इन्जीनियरिंग उद्योग तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये ऋण के अन्तर्गत तथा आयोजनेतर पक्ष में सहकारिता तथा उपभोक्ता उद्योगों के लिये अधिक ऋण वितरण के कारण हुई।

आकस्मिकता निधि

मूल अनुमानों में यह प्रकल्पना हुई थी कि आलोच्य वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से लिये गये सभी अग्रिमों की प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान ही कर दी जायेगी परन्तु वास्तव में 32.54 करोड़ रु0 की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी।

लोक लेखा—

मुख्यत: "लोक लेखा" के अन्तर्गत लेन-देनों का सम्बन्ध राज्य सरकार द्वारा निर्मित ऋण शोधन निधियों से तथा विभिन्न निकायों के निक्षेपों और उन अन्य निक्षेपों आदि से है जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार एक बकर के रूप में कार्य करती है। कुल 132.47 करोड़ रुपये की मूलत: अनुमानित शुद्ध प्राप्ति की तुलना में वर्ष में हुये वास्तविक लेन देनों के फलस्वरूप 523.09 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति लेखे में प्रदर्शित है। वास्तविक आंकड़ों में प्रदर्शित शुद्ध प्राप्तियों में 390.62 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। शुद्ध वृद्धियां भविष्य निधियों, बीमा तथा पेंशन निधियों, सिविल निक्षेप, विप्रेषण, उचन्त लेखे तथा प्रकीर्ण सरकारी लेखा के अन्तर्गत हुई जिनके अन्तर्गत प्राप्ति संवितरण से अधिक रही।

———

पुनरीक्षित अनुमान 1984–85

निम्नलिखित विवरण-पत्र में स्थिति का सारांश दिया गया है:—

(करोड़ रुपयों में)

	मूल आय-व्ययक अनुमान 1984–85	पुनरीक्षित अनुमान 1984–85
1	2	3
प्रारम्भिक शेष	(–) 119.91	(+) 5.59
1—समेकित निधि—		
प्राप्तियां—		
राजस्व लेखे की प्राप्तियां	3006.10	3078.72
पूंजी लेखे की प्राप्तियां—		
कर्जों से प्राप्तियां	1309.75	2616.98
कर्जों और पेशगियों की वसूलियां	40.43	79.76
योग, पूंजी लेखे की प्राप्तियां ..	1350.18	2696.74
योग, प्राप्तियां ..	4356.28	5775.46
व्यय—		
राजस्व लेखे का व्यय	2950.86	3147.68
पूंजी लेखे का व्यय—		
पूंजीगत परिव्यय	440.86	694.54
कर्जों का प्रतिदान	819.20	1628.60
कर्जे और पेशगियां	418.08	684.17
आकस्मिकता निधि को अन्तरण	..	200.00
योग, पूंजी लेखे का व्यय ..	1678.14	3207.31
योग, व्यय ..	4629.00	6354.99
समेकित निधि में घाटा (–)/बचत (+) ..	(–) 272.72	(–) 579.53
2—आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	..	(+) 182.54
3—लोक लेखा (शुद्ध)	(+) 213.40	(+) 209.25
समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम ..	(–) 59.32	(–) 187.74
अन्तिम शेष	(–) 179.23	(–) 182.15

राजस्व लेखा की प्राप्तियां--

वर्ष 1984-85 की राजस्व प्राप्तियों के मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 7262 लाख रु0 की वृद्धि प्रदर्शित है, जो निम्नलिखित न्यूनाधिकताओं के फलस्वरूप हुई है :--

(लाख रुपयों में)

	आय-व्ययक अनुमान 1984-85	पुनरीक्षित अनुमान 1984-85	न्यूनाधिकताएं वृद्धि (+) कमी (-)
1--केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश (अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क को मिलाकर	9,66,52	9,61.65	(-) 4,87
2--राज्य सरकार का कर राजस्व (जिसमें भू-राजस्व सम्मिलित है, किन्तु अतिरिक्त संघीय उत्पादनक शुल्क में राज्य का अंश सम्मिलित नहीं है) ..	10,71,38	10,75,36	(+) 3,98
3--भारत सरकार से सहायक अनुदान और अन्य प्राप्तियां ..	5,80,06	6,45,41	(+) 65,35
4--अन्य प्राप्तियां	3,88,14	3,96,30	(+) 8,16
योग ..	30,06,10	30,78,72	(+) 72,62

भारत सरकार से प्राप्त संकेतों के अनुसार आयकर के विभाज्य समुच्चय में राज्य सरकार का अंश 14,62 लाख रु0 कम तथा संघीय उत्पादन शुल्क (आधारिक और अतिरिक्त) गैर कृषि सम्पदा शुल्क के अन्तर्गत क्रमश: 851 लाख रु0 और 124 लाख रु0 अधिक अनुमानित है ।

मुख्यत: करापवंचन की रोकथाम के सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाये जाने तथा कर देने वाले व्यापारियों की संख्या में वृद्धि के कारण विक्रय-कर के अधीन प्राप्तियां 944 लाख रु0 अधिक रखी गई है । मुख्यत: आय की प्रगति के आधार पर स्टाम्प तथा निबन्धन शुल्क के अधीन प्राप्तियों में 940 लाख रु0 की वृद्धि परिलक्षित है । राज्य आबकारी के अन्तर्गत प्राप्तियों में 270 लाख रु0 की वृद्धि सम्भावित है । दूसरी ओर आय की प्रगति के आधार पर भू-राजस्व, वाहनों पर कर तथा माल तथा यात्रियों पर कर के अधीन प्राप्तियां क्रमश: 991 लाख रु0, 486 लाख रु0 तथा 297 लाख रु0 कम आंकी गयी है ।

राज्य आयोजनागत योजनाओं, आयोजनेतर योजनाओं, केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं तथा सेन्ट्रल सेक्टर योजनाओं के निमित्त भारत सरकार से मिलने वाली राज सहायता में क्रमश: 2997 लाख रु0, 2934 लाख रु0, 354 लाख रु0, तथा 250 लाख रुपये की वृद्धि अनुमानित है ।

मुख्यत: विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम से प्राप्त ब्याज में वृद्धियों के कारण ब्याज प्राप्तियों में 409 लाख रु0 की वृद्धि प्रदर्शित है । मुख्यत: आय की प्रगति के आधार पर शिक्षा, सिचाई तथा परिवहन, जल निकास एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें, कृषि, सड़कें और पुल, लाभांश और लाभ तथा सहकारिता के अन्तर्गत प्राप्तियों में क्रमश 150 लाख रु0-150 लाख रु0, 58 लाख रु0, 82 लाख रु0 55 लाख रु0 तथा 45 लाख रु0 की वृद्धि परिलक्षित है । इसके विपरीत मुख्यत: वन उपजों की बिक्री अपेक्षाकृत कम आय प्राप्त होने के कारण वन के अन्तर्गत प्राप्तियां 91 लाख रु0 कम अनुमानित हैं । बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनायें तथा अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत प्राप्तियां क्रमश: 47 लाख रु0 और 38 लाख रु0 कम अनुमानित हैं ।

पूंजी लेखे की प्राप्तियां:-

कर्जों से प्राप्तियां:-

आलोच्य वर्ष में कर्जों से प्राप्तियों का अनुमान 1309.75 करोड़ रु0 रखा गया था । जिसमें रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाले सम्भावित अर्थोपाय अग्रिमों की 500 करोड़ रु0 की धनराशि भी सम्मिलित थी । दैनिक अर्थोपाय की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक से समय-समय पर अर्थोपाय अग्रिम लिये जाते हैं और उनका प्रतिदान किया जाता है । आवश्यकता के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष में 1300 करोड़ रु0 के अर्थोपाय अग्रिम रिजर्व बैंक से प्राप्त होने का अनुमान है । चालू वित्तीय वर्ष में बाजार कर्ज से प्राप्त होने वाले 220.67 करोड़ रु0 के मूल अनुमान के विपरीत 241.22 करोड़ रु0 का कर्ज प्राप्त हुआ । भारतीय जीवन बीमा निगम से 6.20 करोड़ रु0 "मूल अनुमान के समक्ष 7·05 करोड़ रु0 का कर्ज प्राप्त होने का अनुमान है । अन्य संस्थाओं तथा प्रतिकर तथा अन्य बन्धपत्रों से प्राप्त होने वाले ऋणों के लिये 4.23 करोड़ रुपये का मूल अनुमान रखा गया था जबकि पुनरीक्षित अनुमानों में 12.07 करोड़ रुपये का कर्जा अनुमानित है, केन्द्रीय सरकार से कर्जो और पेशगियों के लिये 540.19 करोड़ रुपये के मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 1016.06 करोड़ रुपये का है । आयोजनेतर कर्जों के अन्तर्गत साधनों के अन्तर को पूरा करने के लिये 343.20 करोड़ रुपये का अनुमानित कर्जा सम्मिलित है । अल्प बचत योजना के अन्तर्गत अल्प बचत संग्रहण के भाग के लिये मूल बजट में 150.00 करोड़ रुपये का कर्ज अनुमानित था जबकि पुनरीक्षित अनुमानों में यह अनुमान बढ़कर 200.00 करोड़ रुपये हो गया है, खाद्य तथा उर्वरकों के लिये 40.00 करोड़ रुपये के मूल अनुमान की तुलना में 42.50 करोड़ रुपये के कर्जे का अनुमान है । राज्य

आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जे के लिये 337.88 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के समक्ष पुनरीक्षित अनुमान 397.58 करोड़ रु0 का है। केन्द्रीय योजनागत योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिये कर्जों के लिये मूल अनुमान क्रमशः 2.85 करोड़ रुपये तथा 7.30 करोड़ रुपये रखा गया था जबकि इन योजनाओं के लिये प्राप्त होने वाले कर्जे का पुनरीक्षित अनुमान क्रमशः 3.80 करोड़ रुपये तथा 4.04 करोड़ रुपये है। आलोच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार से विभिन्न प्रयोजनों के लिये 23.29 करोड़ रुपये के अर्थोपाय पेशगियां प्राप्त हुई जिन्हें पुनरीक्षित अनुमान के अन्तर्गत प्रदर्शित किया गया है जबकि इनके लिये मूल अनुमान में कोई धनराशि सम्मिलित नहीं थी।

कर्जे और पेशगियों की वसूलियां:—

राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों की वसूलियों का मूल अनुमान 40.43 करोड़ रुपया था जबकि इसके लिये पुनरीक्षित अनुमानों में 79.76 करोड़ रुपये की वसूली अनुमानित है। 39.33 करोड़ रु0 की वृद्धि मुख्यतः सहकारिता के लिये कर्जे के अन्तर्गत (34.09 करोड़ रुपये), कृषि के लिये कर्जे के अन्तर्गत (3.23 करोड़ रुपये) तथा सड़क तथा जल परिवहन सेवाओं के लिये कर्जे के अन्तर्गत (2.00 करोड़ रुपये) है।

राजस्व लेखे का व्यय—

वर्ष 1984–85 के लिये आय-व्ययक में 2950.86 करोड़ रु0 के राजस्व व्यय की व्यवस्था थी जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं, केन्द्र द्वारा पुरोनिश्चानित योजनाओं और राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये 703.19 करोड़ रु0 और आयोजनेतर व्यय के लिये 2247.67 करोड़ रु0 रखा गया था। पुनरीक्षित अनुमान में 3147.67 करोड़ रु0 की व्यवस्था है जिसमें आयोजनागत पक्ष के लिये 829.10 करोड़ रु0 और आयोजनेतर व्यय के लिये 2318.57 करोड़ रु0 की राशियां सम्मिलित हैं।

आयोजनागत पक्ष में 125.91 करोड़ रु0 की वृद्धि मुख्यतः राज्य आयोजनागत परिव्यय में वृद्धि के फलस्वरूप है। सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्ते के लिये किये गये एकमुश्त प्राविधान की राशि को सम्बन्धित कार्यात्मक शीर्षकों में ही वहन किये जाने के कारण सचिवालय सामान्य सेवायें के अन्तर्गत 2000 लाख रु0 की बचत प्रदर्शित है—किन्तु यह व्यय कार्यात्मक शीर्षकों से वहन किये जाने के फलस्वरूप संबंधित शीर्षकों के अन्तर्गत वृद्धियां सम्मिलित हैं। इस वृद्धि को सम्मिलित करके अन्यथा बड़ी-बड़ी अधिकताओं को आगे स्पष्ट किया गया है। भारत सरकार से न्यूनतम आवश्यकता कार्य-क्रम के अन्तर्गत त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिये अतिरिक्त सहायता उपलब्ध होने के प्रमुख कारण से लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल प्रदाय के अन्तर्गत 3724 लाख रु0 की वृद्धि अनुमानित है। पंचायती राज्य संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय कार्यों के सम्पादनार्थ राज्य के भू-राजस्व की शुद्ध आय के समतुल्य राशि को गांव सभाओं को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया जिसे वे प्रकाश व्यवस्था, स्कूल भवनों, हैन्ड पम्पों तथा ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण पर व्यय करेंगे। मुख्यतया इस कारण तथा जिला परिषदों को सड़कों, सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु विशेष अनुदान स्वीकृत किये जाने के कारण सामुदायिक विकास के अन्तर्गत 3634 लाख रु0 की वृद्धि परिलक्षित है। क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिये अतिरिक्त परिव्यय उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप विशेष और पिछड़े क्षेत्र के अन्तर्गत 1440 लाख रु0 अधिक रखा गया है। आवश्यकता के आधार पर शिक्षा के अन्तर्गत 1239 लाख रु0 की वृद्धि परिलक्षित है। मुख्यतः हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर 20 प्रतिशत छूट दिये जाने, गांधी जयन्ती के अवसर पर वर्ष 1982–83 तथा 1983–84 में खादी बिक्री पर दी गयी छूट के अवशेषों के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यवस्था करने तथा प्रदेश के चुने हुए जनपदों में राज्य पूंजीगत उपादान की व्यवस्था करने के फलस्वरूप ग्राम उद्योग और लघु उद्योग के अन्तर्गत 856 लाख रु0 अधिक रखा गया है। मुख्यतः संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था किये जाने के कारण चिकित्सा के अन्तर्गत 746 लाख रु0 की वृद्धि परिलक्षित है। सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों एवं केन्द्रीय सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु सुविधायें उपलब्ध कराने तथा जैनरेटिंग सेट क्रय किये जाने के कारण उद्योग के अन्तर्गत 696 लाख रु0 अधिक अनुमानित है। मुख्यतया समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारियों की प्रक्षेत्र विकास कार्य हेतु अतिरिक्त सहायता दिये जाने के कारण क्षेत्र विकास के अन्तर्गत 574 लाख रु0 की वृद्धि परिलक्षित है। आवश्यकता के आधार पर परिवार कल्याण (443 लाख रु0), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (355 लाख रु0) कृषि (319 लाख रु0), श्रम और रोजगार (162 लाख रु0), सहकारिता (94 लाख रु0), सचिवालय आर्थिक सेवायें (8 लाख रु0), वन (59 लाख रु0), वैज्ञानिक सेवायें और अनुसंधाम (46 लाख रु0), तथा कला और संस्कृति (35 लाख रु0) में वृद्धि प्रदर्शित है।

आयोजनेतर पक्ष में 70.90 करोड़ रु0 की वृद्धि परिलक्षित है। सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्ते के लिये किये गये एक मुश्त प्राविधान की राशि को सम्बन्धित कार्यात्मक शीर्षकों से वहन किये जाने के फलस्वरूप सचिवालय सामान्य सेवायें के अन्तर्गत 17938 लाख रु0 की कमी प्रदर्शित है। मुख्यतः इसके कारण शिक्षा में 10664 लाख रु0, पुलिस में 2536 लाख रु0, सड़कें और पुल में 2521 लाख रुपया, सिंचाई, नौ परिवहन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें में 1154 लाख रु0, विक्रय कर में 1121 लाख रु0, लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल प्रदाय में 566 लाख रु0, कृषि में 352 लाख रु0, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में 327 लाख रु0, सामुदायिक विकास में 254 लाख रु0, लोक निर्माण कार्य में 217 लाख रु0, श्रम और रोजगार में 200 लाख रु0, अन्य प्रशासनिक सेवायें में 189 लाख रु0, सिविल विमानन में 97 लाख रु0, जेल में 92 लाख रु0 तथा राज्य उत्पादन शुल्क में 72 लाख रु0 की वृद्धि परिलक्षित है। बाढ़ग्रस्त तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि के वितरण के कारण प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के अन्तर्गत 2652 लाख रु0 की वृद्धि अनुमानित है। मुख्यतः नलकूपों के नवीनीकरण, प्रतिस्थापन, परिचालन तथा अनुरक्षण के लिये अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने तथा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि किये जाने के कारण लघु सिंचाई के अन्तर्गत 1585 लाख रु0 अधिक रखा गया है। आवश्यकता के आधार पर ब्याज की अदायगियों के अन्तर्गत 1187 लाख रु0 की वृद्धि है। दूसरी ओर आवश्यकता के आधार पर पेन्शन और अन्य सेवा निवृत्त लाभ में 983 लाख रु0, सड़क तथा जल परिवहन सेवायें में 72 लाख रु0 तथा निर्वाचन के अन्तर्गत 60 लाख रु0 की कमी प्रदर्शित है।

पूंजीगत व्यय--

मूल आय-व्ययक में पूंजीगत व्यय के लिये 440.86 करोड़ रु0 की व्यवस्था थी जिसमें 439.36 करोड़ रु0 आयोजनागत पक्ष में तथा 1.50 करोड़ रु0 आयोजनेतर पक्ष में था। पुनरीक्षित अनुमान 694.55 करोड़ रु0 है जो मूल अनुमान की तुलना में 253.69 करोड़ रु0 अधिक है।

आयोजनागत पक्ष में 243.52 करोड़ रु0 की वृद्धि प्रदर्शित है। नयी सड़कों तथा पुलों के निर्माण व पुरानी सड़कों तथा पुलों के रख रखाव पर आवश्यकतानुसार अधिक व्यय की संभावना के कारण सड़कें और पुल पर पूंजीगत परिव्यय में 7047 लाख रु0 की वृद्धि अनुमानित है। "पिकप" तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के अंशकों में विनियोजन के फलस्वरूप औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर पूंजीगत परिव्यय 3419 लयख रु0 अधिक है। आवश्यकता के आधार पर सिंचाई, नौपरिवहन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा लघु सिंचाई, भू-संरक्षण एवं क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय क्रमशः 3122 लाख रु0, 2165 लाख रु0 था 1539 लाख रु0 अधिक है। क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक भवनों के निर्माण तथा सड़कों के पुनर्निर्माण के लिये अधिक व्यवस्था किये जाने के कारण विशेष और पिछड़े क्षेत्रों पर पूंजीगत परव्यय 2142 लाख रु0, अधिक अनुमानित है। सहकारी चीनी मिलों तथा अन्य सहकारी संस्थाओं में अपेक्षाकृत अधिक विनियोजन के कारण सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय 1189 लाख रु0 अधिक रखा गया है। मुख्यतः राज्य वस्त्र निगम, वित्त निगम सार्वजनिक क्षेत्र की नयी कताई मिलों में तथा उर्स भदोही लेन्स लि0 के अंशकों में विनियोजन के फलस्वरूप उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 1138 लाख रु0 अधिक अनुमानित है। इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक्स निगम के अंशकों में विनियोजन के कारण दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 854 लाख रु0 अधिक है। सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय में 898 लाख रु0, आवास पर पूंजीगत परिव्यय में 362 लाख रु0, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश में 325 लाख रु0, शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 316 लाख रु0, चिकित्सा पर पूंजीगत परिव्यय में 99 लाख रु0 तथा सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय में 173 लाख रु0 की वृद्धि प्रदर्शित है। दूसरी ओर परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 600 लाख रु0 कम अनुमानित है।

आयोजनेतर पक्ष का शुद्ध व्यय 10.17 करोड़ रु0 अधिक अनुमानित है। आवश्यकता के आधार पर सड़क तथा जल परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 1000 लाख रु0, आवास पर पूंजीगत परिव्यय 545 लाख रु0, कृषि पर पूंजीगत परिव्यय 500 लाख रु0 तथा सिविल विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 89 लाख रु0 अधिक अनुमानित है। इसके विपरीत खाद्य विभाग की वे प्राप्तियां जो व्यय में समायोजित की जाती है, के व्यय से कम रहने की आशा थी किन्तु प्राप्तियों के अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय में 1138 लाख रु0 की कमी प्रदर्शित है।

कर्जों का प्रतिदान--

चालू वित्तीय वर्ष में बाजार कर्जों के प्रतिदान के लिये आय-व्ययक अनुमान 61.60 करोड़ रु0 रखा गया था जबकि उपलब्ध संकेतों के आधार पर पुनरीक्षित अनुमान 60.79 करोड़ रु0 रखा गया है। कैश क्रेडिट की सुविधा के समक्ष स्टेट बैंक आफ इंडिया को प्रतिदान के लिये मूल आय-व्ययक में व्यवस्थित 38.37 करोड़ रु0 के अनुमान के विपरीत 37.00 करोड़ का प्रतिदान किये जाने की सम्भावना है। अन्य संस्थाओं से प्राप्त कर्जों के प्रतिदाम के लिये 5.13 करोड़ रु0 के आय-व्ययक अनुमानों के समक्ष पुनरीक्षित अनुमान 5.09 करोड़ रु0 रखा गया है। भारत के रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम के मात्र समायोजन प्रकृति के प्रतिदान के लिये 500 करोड़ रु0 के मूल अनुमानों के समक्ष 1300 करोड़ रु0 का प्रतिदान अनुमानित है। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों के प्रतिदान के लिये 207.01 करोड़ रु0 के मूल आय-व्ययक अनुमानों की तुलना में पुनरीक्षित अनुमानों में 218.57 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गई है।

कर्जे और पेशगियां--

कर्जे और पेशगियों के लिये मूल आय-व्ययक में 418.08 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गई थी जिसमें 389.26 करोड़ रु0 की धनराशि आयोजनागत योजनाओं तथा 28.82 करोड़ रु0 आयोजनेतर मदों के अन्तर्गत कर्जों के संवितरण के लिये सम्मिलित थी। पुनरीक्षित अनुमानों में विभिन्न आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत कर्जों के संवितरण हेतु 595.27 करोड़ रु0 की धनराशि रखी गई है जिसमें विद्युत परियोजनाओं के लिये ऋण हेतु 478.02 करोड़ रु0 की धनराशि सम्मिलित है जो इस हेतु मूलतः अनुमानित 333.22करोड़ रु0 की तुलना में 144.80 करोड़ रु0 से अधिक है। आयोजनेतर पक्ष में कर्जों और पेशगियों के संवितरण के 28.82 करोड़ रु0 के मूल अनुमानों के समक्ष पुनरीक्षित अनुमान 88.90 करोड़ रु0 का है जो मुख्यतः सहकारिता, कृषि तथा उपभोक्ता उद्योगों के लिये अधिक ऋण व्यवस्था के कारण है।

आकस्मिकता निधि को अन्तरण--

चालू वित्तीय वर्ष में आकस्मिकता निधि में 200 करोड़ रु0 की धनराशि तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्तरित की गई।

आकस्मिकता निधि--

आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत मूल अनुमानों में शुद्ध प्राप्ति शून्य प्रदर्शित की गई थी। पुनरीक्षित अनुमानों में आकस्मिकता निधि से गत वर्ष लिये गये अग्रिमों के संबंध में 32.54 करोड़ रु0 की प्रतिपूर्ति किया जाना अनुमानित है। इसके अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि में अन्तरित 200 करोड़ रु0 की राशि भी प्राप्तियों के पुनरीक्षित अनुमानों में सम्मिलित है। चालू वित्तीय वर्ष में जिन अग्रिम धनराशियों की प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हो पायेगी उनका अनुमान 50 करोड़ रु0 रखा गया है।

लोक लेखा---

लोक लेखे के अन्तर्गत 213.40 करोड़ रु0 की शुद्ध प्राप्ति के मूल अनुमानों की तुलना में पुनरीक्षित अनुमानों में 209.25 करोड़ रु0 की शुद्धि प्राप्ति अनुमानित है। पुनरीक्षित अनुमानों में शुद्ध प्राप्ति में 4.15 करोड़ रु0 की कमी विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत सम्भावित न्यूनाधिकताओं के शुद्ध परिणाम स्वरूप अनुमानित है।

मूल आय-व्ययक अनुमानों के अनुसार वर्ष के समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम (–) 59.32 करोड़ रु0 अनुमानित था। पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर अनुमान है कि वर्ष के समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम 187.74 करोड़ रु0 रहेगा और तद्नुसार वर्ष का 5.59 करोड़ रु0 का प्रारम्भिक शेष वर्ष के अन्त में घटकर (–) 182.15 करोड़ रु0 हो जाना सम्भावित है।

आय-व्ययक 1985–86

निम्नलिखित विवरण-पत्र में स्थिति का सारांश दिया गया है:—

(करोड़ रुपयों में)

	मूल आय-व्ययक अनुमान 1984–85	पुनरीक्षित अनुमान 1984–85	आय-व्ययक अनुमान 1985–86
प्रारम्भिक शेष	(–) 119.91	+ 5.59	(–) 182.15
1—समेकित निधि—			
प्राप्तियां—			
राजस्व लेखे की प्राप्तियां	3006.10	3078.72	3168.96
पूंजी लेखे की प्राप्तियां—			
कर्जों से प्राप्तियां	1309.75	2616.98	1316.20
कर्जों और पेशगियों की वसूलियां	40.43	79.76	48.64
योग, पूंजी लेखे की प्राप्तियां ..	1350.18	2696.74	1364.84
योग, प्राप्तियां ..	4356.28	5775.46	4533.80
व्यय—			
राजस्व लेखे का व्यय	2950.86	3147.68	3162.01
पूंजी लेखे का व्यय—			
पूंजीगत परिव्यय	440.86	694.54	514.79
कर्जों का प्रतिदान	819.20	1628.60	814.63
कर्जे और पेशगियां	418.08	684.17	451.61
आकस्मिकता निधि को अन्तरण	..	200.00	..
योग, पूंजी लेखे का व्यय ..	1678.14	3207.31	1781.03
योग, व्यय ..	4629.00	6354.99	4943.04
समेकित निधि में घाटा (–)/बचत + ..	(–) 272.72	(–) 579.53	(–) 409.24
2—आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	..	+ 182.54	..
3—लोक लेखा (शुद्ध)	+ 213.40	+ 209.25	+ 193.58
समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम	(–) 59.32	(–) 187.74	(–) 215.66
अंतिम शेष	(–) 179.23	(–) 182.15	(–) 397.81

राजस्व लेखे की प्राप्तियां--

वर्ष 1984-85 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 9023 लाख रुपये की वृद्धि निम्नलिखित न्यूनाधिकताओं के फलस्वरूप है :--

(हजार रुपयों में)

	पुनरीक्षित अनुमान 1984-85	आय-व्ययक अनुमान 1985-86	न्यूनाधिकतायें वृद्धि (+) कमी (-)
1--केन्द्रीय करों में राज्य का अंश (अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क मिलाकर)	9,61,65	11,07,42	(+)1,45,77
2--राज्य सरकार का कर (जिसमें भू-राजस्व सम्मिलित है किन्तु अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क सम्मिलित नहीं है)	10,75,36	11,33,40	(+)58,04
3--केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान और प्राप्तियां ..	6,45,41	4,93,55	(-)1,51,86
4--अन्य प्राप्तियां	3,96,30	4,34,59	(+)38,29
योग ..	30,78,72	31,68,96	(+)90,24

भारत सरकार द्वारा दिये गये संकेतों के अनुसार आधारिक और अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर के विभाज्य समुच्चय में इस राज्य का अंश क्रमशः 9636 लाख रु0 और 5011 लाख रु0 अधिक तथा सम्पदा शुल्क में 70 लाख रु0 कम होने की संभावना है।

मुख्यतः करापवंचन की रोक थाम के लिये प्रभावी कदम उठाये जाने के फलस्वरूप विक्रय कर के अधीन प्राप्तियां समग्र रुप से 2125 लाख रु0 अधिक अनुमानित है। दिनांक 1-10-84 से बिजली पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाये जाने के कारण बिजली पर कर और शुल्क के अधीन प्राप्तियों में 1375 लाख रु0 की वृद्धि संभावित है। राज्य उत्पादन शुल्क के अधीन प्राप्तियों में 500 लाख रु0 की वृद्धि संभावित है। मुख्यतः स्टाम्पों की बिक्री में वृद्धि की प्रवृत्ति को देखते हुए स्टाम्प तथा निबन्धन शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियां 500 लाख रु0 अधिक होने की संभावना है। मुख्यतः वाहनों तथा यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये माल तथा यात्रियों पर कर के अधीन प्राप्तियां 320 लाख रु0 अधिक आंकी गयी है। आय की प्रगति के आधार पर भू-राजस्व, वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क तथा वाहनों पर कर के अन्तर्गत प्राप्तियों में क्रमशः 517 लाख रु0, 243 लाख रुपया तथा 222 लाख रु0 की वृद्धि संभावित है।

केन्द्र से प्राप्त संकेतों तथा व्यय के लिए किए गए प्राविधान के आधार पर राज्य आयोजनागत योजनाओं, आयोजनेतर योजनाओं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के निमित्त केन्द्रीय सहायक अनुदान का अनुमान क्रमशः 12803 लाख रु0, 2580 लाख रु0 तथा 1119 लाख रु0 कम रखागया है। इसके विपरीत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के निमित्त केन्द्रीय सहायक अनुदानमें 1316 लाख रु0 की वृद्धि प्रत्याशित है।

मुख्यतः विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्य ब्याज में वृद्धि की सम्भावना के कारण ब्याज प्राप्तियां 1191 लाख रु0 अधिक अनुमानित हैं। राज्य लाटरी को और अधिक आकर्षक बनाने के फलस्वरूप विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत प्राप्तियां 1056 लाख रु0 अधिक अनुमानित हैं। सिंचाई, नौपरिवहन जल निकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें, वन, लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास, शिक्षा, खाने और खनिज, अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवायें, लेखन सामग्री और मुद्रण तथा लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत आय की प्रगति के आधार पर प्राप्तियां क्रमशः 492 लाख रुपया, 306 लाख रु0, 195 लाख रु0, 179 लाख रु0, 150 लाख रु0, 69 लाख रु0, 64 लाख रु0 तथा 56 लाख रु0 अधिक अनुमानित है। इसके विपरीत अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत प्राप्तियां 78 लाख रु0 कम आंकी गयी हैं।

पूंजी लेखे की प्राप्तियां

कर्जो से प्राप्तियां

बजट वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले कर्जो के सम्बन्ध में 1316.20 करोड़ रु0 की प्राप्ति अनुमानित है जिसमें भारत के रिजर्व बैंक से समय-समय पर लिये जाने वाले अर्थोपाय अग्रिमों के लिये 50 करोड़ रु0 की धनराशि भी सम्मिलित है। इसे निकालने के बाद ऋणों से प्राप्तियां 816.20 करोड़ रु0 अनुमानित है। बजट वर्ष में जारी किये जाने वाले बाजार ऋण से 131.03 करोड़ रु0 की प्राप्ति होने का अनुमान है। भारत के जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त होने वाले कर्जो का अनुमान क्रमशः 7.05 करोड़ रु0 तथा 1.00 करोड़ रु0 है। खाद्यान्नों के व्यापार के लिये कैश क्रेडिट की सुविधा के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त होने वाले कर्ज का अनुमान 38.00 करोड़ रु0 रखा गया है। अन्य संस्थाओं से तथा प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्रों से 2.10 करोड़ रु0 का कर्ज प्राप्त होने का अनुमान है।

केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋणों का अनुमान 637.02 करोड़ रु0 लगाया गया है जिसमें अल्प बचतों की उगाही के अंश के रूप में 220.00 करोड़ रु0, खाद्य तथा उर्वरकों के लिये 40.00 करोड़ रु0, राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये 368.30 करोड़ रु0, केन्द्रीय आयोजनागत योजना के लिये 2.50 करोड़ रु0 तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिये 4.50 करोड़ रु0 का कर्ज प्राप्त होने का अनुमान है।

कर्जों और पेशगियों की वसूलियां--

बजट वर्ष में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों का अनुमान 48.64 करोड़ रु0 रखा गया है जो इस वर्ष के मूल अनुमानों से 821 करोड़ रु0 से अधिक है। इस वर्ष की तुलना में वृद्धि मुख्यत: सहकारिता के लिये ऋण तथा कृषि के लिये ऋण के अन्तर्गत परिलक्षित है।

राजस्व लेखे की व्यय--

वर्ष 1984-85 के मूल आय-व्ययक में 2950.86 करोड़ रु0 के राजस्व व्यय की व्यवस्था की गयी थी जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं, केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं और राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये आयोजनागत पक्ष में 703.19 करोड़ रु0 तथा आयोजनेतर पक्ष में 2247.67 करोड़ रु0 रखा गया था। बजट वर्ष का अनुमान 3162.01 करोड़ रु0 है, जिसमें आयोजनागत व्यय 509.11 करोड़ रु0 तथा आयोजनेतर व्यय 2652.90 करोड़ रु0 है। छठी पंचवर्षीय योजना की बहुत सी राज्य आयोजनागत योजनाओं का सामान्यीकरण करके उनके लिये आय-व्ययक के आयोजनेतर पक्ष में धन की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त नई योजनायें अभी बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं। अत: इस कारण आयोजनागत पक्ष में 194.08 करोड़ रु0 की कमी प्रदर्शित है। आयोजनेतर पक्ष में 405.23 करोड़ रु0 की वृद्धि प्रदर्शित है। इस प्रक्रम में आय-व्ययक वर्ष के आयोजनागत अनुमान में अधिकांशत: अधिनीत योजनाओं के व्यय की ही व्यवस्था की गयी है। नयी योजनाओं के लिये संपूर्ण आय-व्ययक में धन की व्यवस्था की जायेगी लेकिन कुछ शीर्षक ऐसे ही जिनमें आयोजनागत योजनाओं के सामान्यीकरण से आयोजनेतर पक्ष में अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ा या उनके अन्तर्गत कोई आयोजनेतर योजना न होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे शीर्षकों के अन्तर्गत आयोजनेतर पक्ष में मुख्य न्यूनाधिकताओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। ब्याज का भुगतान तथा ऋण सेवा हेतु समग्र रूप से 8905 लाख रु0 की अधिक व्यवस्था की गयी है। आवश्यकता के आधार पर पुलिस, सड़कें और पुल, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्त लाभ, विविध सामान्य सेवायें, सिंचाई, नौपरिवहन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें, पशुपालन, न्याय प्रशासन, जिला प्रशासन तथा निर्वाचन के अन्तर्गत क्रमश: 6303 लाख रु0, 2596 लाख रुपया, 1802 लाख रु0, 1064 लाख रु0, 886 लाख रु0, 706 लाख रुपया, 512 लाख रु0, 458 लाख रु0, 38 लाख रु0, की वृद्धि अनुमानित है।

पूंजीगत परिव्यय--

वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक अनुमानों में पूंजीगत परिव्यय के लिये 440.86 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी थी जिसमें राज्य आयोजनागत योजनाओं, केन्द्रीय योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिये 439.36 करोड़ रु0 रखा गया था तथा आयोजनेतर पक्ष में 1.50 करोड़ रु0 की व्यवस्था थी। बजट वर्ष में पूंजीगत परिव्यय के लिये 514.78 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है जिसमें से आयोजनागत पक्ष में 509.37 करोड़ रु0 है तथा आयोजनेतर पक्ष में 5.41 करोड़ रु0 की व्यवस्था है।

जैसा पहले बताया जा चुका है आय-व्ययक वर्ष के अनुमानों में व्यय की नयी मदों अथवा नयी योजनाओं के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

आयोजनागत पक्ष में आवश्यकता के आधार पर सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय में 5170 लाख रु0, लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय में 1183 लाख रु0, चिकित्सा पर पूंजीगत परिव्यय में 1165 लाख रु0, सिंचाई, नौ परिवहन, जल विकास और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय में 1155 लाख रु0, विशेष और पिछड़े क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय में 612 लाख रु0, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय में 599 लाख रु0, शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय में 382 लाख रु0, आवास पर पूंजीगत परिव्यय में 159 लाख रु0, लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय में 124 लाख रु0, लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल संपूर्ति पर पूंजीगत परिव्यय में 62 लाख रु0 तथा सामुदायिक विकास पर पूंजीगत परिव्यय में 62 लाख रु0 अधिक अनुमानित है। दूसरी ओर सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर पूंजीगत परिव्यय, ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं के निवेश के अन्तर्गत फिलहाल कोई धन व्यवस्था न किये जाने के कारण 1411 लाख रु0 की कमी है। बहु उद्देशीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, परिवार नियोजन पर पूंजीगत परिव्यय, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय तथा कृषि पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत भी फिलहाल आवश्यकता के आधार पर क्रमश: 1315 लाख रु0, 964 लाख रु0, 232 लाख रु0 तथा 185 लाख रु0 कम अनुमानित है।

आय-व्ययक वर्ष में आयोजनेतर पक्ष में यह अनुमान लगाया गया है कि कृषि के अन्तर्गत वे प्राप्तियां जो लेखे में व्यय में से घटा दी जाती हैं, व्यय से कम रहेंगी। मुख्यतया इस कारण कृषि पर पूंजीगत परिव्यय में 500 लाख रु0 की वृद्धि परिलक्षित है। दूसरी ओर लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय आवश्यकता के आधार पर 155 लाख रु0 कम अनुमानित है।

कर्जों का प्रतिदान--

राज्य सरकार द्वारा लिये गये कर्जों के प्रतिदान के लिये आय-व्ययक वर्ष में 814.63 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है जिसमें भारत के रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले अर्थोपाय अग्रिमों के प्रतिदान के लिये 500.00 करोड़ रु0 की धनराशि की राशि भी सम्मिलित है। बजट वर्ष में राज्य सरकार के दो बाजार ऋण 5.75 प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य विकास ऋण, 1985 तथा 6

प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य विकास ऋण 1985 परिपक्व होंगे जिसके लिये 69.00 करोड़ रु0 की व्यवस्था सम्मिलित की गई है। भारत के जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त कर्जो के प्रतिदान के लिये आय-व्ययक में क्रमशः 2.46 तथा 1.97 करोड़ रु0 की व्यवस्था सम्मिलित की गई है। खाद्यान्नों के व्यापार के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया से कैश क्रेडिट की सुविधा के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले कर्जों के प्रतिदान के लिये 39.50 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है। अन्य संस्थाओं तथा प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्रों के भुगतान हेतु 9.52 करोड़ रु0 का प्राविधान सम्मिलित किया गया है।

केन्द्रीय सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिये प्राप्त कर्जो के निर्धारित शर्तो के अधीन प्रतिदान हेतु 189.57 करोड़ रु0 का प्राविधान सम्मिलित किया गया है जिसमें खाद्य तथा उर्वरकों के लिये प्राप्त कर्जे के प्रतिदान हेतु 40.00 करोड़ रु0 तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं के ब्लाक ऋण हेतु 31.74 करोड़ रु0, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिये क्रमशः 20 और 57.67 लाख रु0 और वर्ष 1979–80 के पूर्व प्राप्त कर्जो के प्रतिदान के लिये 65.68 करोड़ रु0 तथा वर्ष 1979–80 से 1983–84 के दौरान प्राप्त ऋणों के प्रतिदान के लिए 51.34 करोड़ रुपये का प्राविधान सम्मिलित है।

कर्जे और पेशगियां––

बजट वर्ष में राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले कर्जे और पेशगियों के लिये कुल मिलाकर 451.61 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है जिसमें आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले कर्जो और पेशगियों के लिये 422.12 करोड़ रुपये और आयोजनेतर योजनाओं के लिये दिये जाने वाले कर्जो के लिये 29.49 करोड़ रु0 की धनराशि सम्मिलित है। आयोजनागत योजनाओं के लिये दिये जाने वाले ऋणों में विद्युत् योजनाओं के लिए दिये जाने वाले कर्जे के लिये 418.31 करोड़ रु0 की धनराशि सम्मिलित है। आयोजनेतर पक्ष के लिये प्राविधानित 29.48 करोड़ रु0 में 18.50 करोड़ रु0 की धनराशि सहकारिता के लिये, 3.70 करोड़ रु0 कृषि के लिये, 3.50 करोड़ रु0 उपभोक्ता उद्योगों के लिये तथा 2.95 करोड़ रु0 की राशि सरकारी कर्मचारियों आदि को दिये जाने वाले कर्जों के लिये सम्मिलित है।

लोक लेखा––

लोक लेखे के अन्तर्गत लेन-देनों का सम्बन्ध राज्य सरकार द्वारा नियमित ऐसी निधियों तथा विभिन्न स्थानीय निकायों के निक्षेपों एवं अन्य निक्षेपों से है जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार की वास्तव में, न तो कोई वास्तविक आय होती है और न ही वास्तविक व्यय फिर भी इन लेन-देनों का राज्य सरकार की अर्थोपाय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। बजट वर्ष में लोक लेखे के अन्तर्गत लेन-देनों से 193.58 करोड़ रु0 की शुद्ध प्राप्ति का अनुमान है जो कि गत वर्ष की शुद्ध प्राप्ति के मूल अनुमानों से 19.82 करोड़ रु0 कम है।

आय-व्ययक अनुमानों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम (–) 215.66 करोड़ रुपये रहेगा और तद्नुसार ही वर्ष का अन्तिम शेष (––) 397.81 करोड़ रु0 सम्भावित है।

सामान्य––

राज्य की कुल ऋण ग्रस्तता के ब्योरे नत्थी–1 में दिये गये है।

राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षो में दिये गये और 1984–85 में दिये जाने वाले ऋणों की कुल अदत्त धनराशि के ब्योरे नत्थी–2 में दिये गये है।

नत्थियां

नत्थी 1

विवरण-पत्र जिसमें राज्य की कुल ऋण ग्रस्तता दिखाई गई है

(हजार रुपयों में)

शीर्षक	कब लिया गया	31 मार्च, 1984 को शेष (वास्तविक आंकड़े)	1984–85 (पुनरीक्षित) लिया गया	1984–85 (पुनरीक्षित) दिया गया	31 मार्च, 1985 को शेष (पुनरीक्षित)	1985–86 (आय-व्ययक) लिया गया	1985–86 (आय-व्ययक) दिया गया	31 मार्च, 1986 को शेष (आय-व्ययक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क—लोक ऋण—स्थायी ऋण—ऋण—								
1—बाजार कर्जे—								
(1) 3 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1961–66	1936	3,33	..	30	3,03	..	30	2,73
(2) 4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1964	जुलाई, 1954	5,81	..	30	5,51	..	30	5,21
(3) 4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1967	अगस्त, 1955	7,00	..	1,00	6,00	..	1,00	5,00
(4) 4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1968	अगस्त, 1956	7,54	..	1,00	6,54	..	1,00	5,54
(5) 4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1969	अगस्त, 1960	8,57	..	1,00	7,57	..	1,00	6,57
(6) 4 1/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1970	जुलाई, 1958	18,16	..	1,00	17,16	..	1,00	16,16
(7) 4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1971	अगस्त, 1959	7,20	..	1,00	6,20	..	1,00	5,20
(8) 4 1/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1972	सितम्बर, 1961	10,37	..	1,50	8,87	..	1,50	7,37
(9) 4 1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1974	अगस्त, 1962	11,22	..	3,50	7,72	..	3,50	4,22
(10) 4 3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1976	अगस्त, 1964	16,40	..	5,00	11,40	..	5,00	6,40
(11) 5 1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1977	अगस्त, 1965	50,39	..	10,00	40,39	..	10,00	30,39
(12) 5 1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1978	सितम्बर, 1966	36,94	..	10,00	26,94	..	10,00	16,94
(13) 5 3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1979	अगस्त, 1967	54,31	..	10,00	44,31	..	10,00	34,31
(14) 5 3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1980	अगस्त, 1968	46,13	..	8,00	38,13	..	8,00	30,13
(15) 5 3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1981	अगस्त, 1969	76,82	..	20,00	56,82	..	20,00	36,82
(16) 5 3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1982	अगस्त, 1970	93,95	..	35,00	58,95	..	35,00	23,95
(17) 5 3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1983	अगस्त, 1971	1,79,56	..	70,00	1,09,56	..	50,00	59,56

(18)	5 3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1984	अगस्त, 1972	21,76,94	..	21,00,00	76,94	..	76,94	..
(19)	5 3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1985	अगस्त, 1973	29,63,21	..	..	29,63,21	..	29,00,00	63,21
(20)	6 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1984	अगस्त, 1974	38,55,13	..	38,00,00	55,13	..	55,00	13
(21)	6 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1985	अगस्त, 1975	40,51,49	..	..	40,51,49	..	40,00,00	51,49
(22)	6 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1986	अगस्त, 1976	40,69,62	..	..	40,69,62	..	..	40,69,62
(23)	6 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1987	अगस्त, 1977	40,07,58	..	..	40,07,58	..	..	40,07,58
(24)	6 1/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1988	सितम्बर, 1978	41,89,72	..	..	41,89,72	..	..	41,89,72
(25)	6 1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1989	सितम्बर, 1979	42,34,20	..	..	42,34,20	..	..	42,34,20
(26)	6 3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1992	सितम्बर, 1980	42,44,45	..	..	42,44,45	..	..	42,44,45
(27)	7 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1993	सितम्बर, 1981	93,35,69	..	..	93,35,69	..	..	93,35,69
(28)	7 1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1997	जुलाई, 1982	1,11,96,45	..	..	1,11,96,45	..	..	1,11,96,45
(29)	8 1/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1995	अगस्त, 1983	1,50,74,52	..	..	1,50,74,52	..	..	1,50,74,52
(30)	9 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1999	सितम्बर, 1984	..	2,41,22,00	..	2,41,22,00	..	..	2,41,22,00
(31)	नया ऋण		..	..	..	..	1,31,02,70	..	1,31,02,70
	योग, बाजार कर्जे ..		7,00,32,70	2,41,22,00	60,78,60	8,80,76,10	1,31,02,70	71,90,54	9,39,88,26

नत्थी 1—(क्रमशः)

(हजार रुपयों में)

शीर्षक	31 मार्च, 1984 को शेष (वास्तविक आंकड़े)	1984–85 (पुनरीक्षित)		31 मार्च, 1985 को शेष (पुनरीक्षित)	1985–86 (आय-व्ययक)		31 मार्च, 1986 को शेष (आय-व्ययक)
		लिया गया	दिया गया		लिया गया	दिया गया	
1	2	3	4	5	6	7	8
2—केन्द्रीय सरकार से कर्जे—							
(1) अल्प बचत के अन्तर्गत कर्जे ..	5,85,62,00	2,00,00,00	..	7,85,62,00	2,20,00,00	..	10,05,62,00
(2) योजनागत योजनाओं के लिये ब्लाक कर्जे ..	12,28,60,41	3,97,57,60	93,69,64	15,32,48,37	3,68,30,00	31,73,73	18,69,04,64
(3) केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये कर्जे	20,18,69	3,80,20	1,18,56	22,80,33	2,50,00	20,00	25,10,33
(4) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये कर्जे	27,13,72	4,00,83	1,60,38	29,54,17	4,50,00	51,67	33,52,50
(5) अन्य योजनेतर कर्जे ..	8,23,50	3,44,88,74	33,85	3,52,78,39	1,72,00	9,08	3,54,41,31
(6) उर्वरकों की खरीद के लिये कर्जे ..	13,00,00	42,50,00	31,50,00	24,00,00	40,00,00	40,00,00	24,00,00
(7) अर्थोपाय पेशगियां ..	..	23,28,66	23,28,66	..	..	..	..
(8) पूर्व 1979–80 कर्जे ..	16,07,74,41	..	66,89,47	15,40,84,94	..	1,17,02,57	14,23,82,37
योग, केन्द्रीय सरकार से कर्जे ..	34,90,52,73	10,16,06,03	2,18,50,56	42,88,08,20	6,37,02,00	1,89,57,05	47,35,53,15
3—स्वशासित निकायों से कर्जे—							
(1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग से कर्जे ..	12,35	..	50	11,85	..	50	11,35
(2) राष्ट्रीय कृषि तथा विकास बैंक से कर्जे	13,81,92	1,50,00	2,02,54	13,29,38	1,00,00	1,97,32	12,32,06
(3) भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्जे ..	47,43,43	7,05,00	1,94,73	52,53,70	7,05,00	2,15,86	57,42,84
(4) अन्य संस्थाओं से कर्जे ..	69,25,92	12,07,43	5,09,28	76,24,07	2,10,00	6,35,11	71,98,96
(5) भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से अनाज की खरीदारी के लिये कर्जे ..	10,14,14	39,04,80	37,00,00	12,18,94	38,00,00	39,50,00	10,68,94
योग, स्वशासित निकायों से कर्जे ..	1,40,77,76	59,67,23	46,07,05	1,54,37,94	48,15,00	49,98,79	1,52,54,15
योग, कर्जे ..	43,31,63,19	13,16,95,26	5,25,36,21	53,23,22,24	8,16,19,70	3,11,46,38	58,27,95,56

अन्य दायित्व—

1—बन्ध

(1) नागर क्षेत्र प्रतिकर बन्ध ..	34,80	1,00	10	35,70	1	10	35,61
(2) जमींदारी विनाश प्रतिकर बन्ध ..	19,22,86	1,00	2.00,00	17,23,86	1	2,00,00	15 23,87
(3) अधिकतम जोत सीमा प्रतिकर बन्ध ..	22,62	1	1,50	21,13	1	1,00	20,14
(4) उत्तर प्रदेश ऋण ग्रस्त सम्पत्ति अधिनियम बन्ध	28,71	1	8,00	20,72	1	1,00	19,73
(5) पुनर्वासन अनुदान बन्ध	2,27,05	10	1,15,00	1,12,15	1	1,15,00	(—) 2,84
योग, 1 ..	22,36,04	2.12	3,24,60	19,13,56	5	3,17,10	15,96.51

2—अनिधि बद्ध कर्जे—

(1) भविष्य निधियों के जमा ..	4,04,28,32	1,13,50.00	35,00.00	4,82,78,32	79,00,00	36,50,00	5,25,28.32
(2) सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं एवं आधारिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भविष्य निधियों के लेन देन ..	1,56,01,56	38,00.00	15,50,00	1,78,51,56	44,00,00	22,00,00	2,00,51,56
योग, 2 ..	5,60,29,88	1,51,50,00	50,50,00	6,61,29,88	1,23,00,00	58,50,00	7,25,79,88

3—जमा और पेशगियाँ—

(1) सिविल जमा ..	5,17,14,41	5,78,81,63	5,63,36,13	5,32,59,91	5,78,79,07	5,63,33,57	5,48,05,41
(2) स्थानीय निधियों की जमा ..	54,20,60	2,00,00.00	2,00,00,00	54,20,60	2,00,00,00	2,00,00.00	54,20.60
योग, 3 ..	5,71,35,01	7,78,81,63	7,63,36,13	5,86,80,51	7,78,79,07	7,63,33,57	6,02,26,01
योग, अन्य दायित्व ..	11,54,00,93	9,30,33,75	8,17,10,73	12,67,23,95	9,01,79,12	8,25,00,67	13,44,02,40
बड़ा योग ..	54,85,64,12	22,47,29,01	11,42 46.94	65,90,46 19	17,17,98,82	11,36,47,05	71,71,97,96

नत्थी 2

विवरण-पत्र जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों की अदत्त शेष धनराशि दिखाई गई है

(हजार रुपयों में)

शीर्षक	31 मार्च, 1984 को शेष (वास्तविक आंकड़े)	1984-85		31 मार्च, 1985 को शेष (पुनरीक्षित)	1985-86		31 मार्च, 1986 को शेष (आय-व्ययक)
		संवितरण (पुनरीक्षित)	प्राप्तियां (पुनरीक्षित)		संवितरण (आय-व्ययक)	प्राप्तियां (आय-व्ययक)	
1	2	3	4	5	6	7	8
677--शिक्षा, कला और संस्कृति के लिये कर्जे ..	11,15,72	62,00	10,00	11,67,72	65,00	10,00	12,22,72
682--लोक स्वास्थ्य, सफाई तथा जल प्रदाय के लिये कर्जे	1,03,46,37	16,41,33	7,01	1,19,80,69	..	7,10	1,19,73,59
683--आवास योजना के लिये कर्जे ..	79,55,69	11,03,50	1,03,61	89,55,58	1,23	1,04,09	88,52,72
684--नगर विकास के लिये कर्जे ..	33,60,55	11,07,50	19,75	44,48,30	..	19,75	44,28,55
685--सूचना एवं प्रचार के लिये कर्जे ..	29,07	..	5,00	24,07	..	5,00	19,07
688--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये कर्जे ..	17,81,22	25,00	2,40	18,03,82	15,11	2,26	18,16,67
695--अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिये कर्जे	4,86,22	25,00	50,00	4,61,22	..	50,00	4,11,22
698--सहकारी संस्थाओं के लिये कर्जे ..	1,62,31,69	64,54,24	59,66,90	1,67,19,03	19,00,25	29,07,15	1,57,12,13
699--विशेष एवं पिछड़े क्षेत्रों के लिये कर्जे ..	66,63,38	14,82,74	32,02	81,14,10	30,00	32,42	81,11,68
700--सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं को कर्जे	38,83	..	..	38,83	..	..	38,83
705--कृषि के लिये कर्जे ..	39,83,83	9,67,99	7,25,00	42,26,82	3,70,06	9,80,00	36,16,88
706--लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण एवं क्षेत्रीय विकास के लिये कर्जे ..	58,05,39	12,55,00	16,00	70,44,39	..	16,00	70,28,39
710--पशु पालन योजनाओं के लिये कर्जे ..	39,28	..	1,05	38,23	.	1,05	37,18
711--डेरी विकास के लिये कर्जे ..	7,69	..	..	7,69	..	..	7,69
712--मत्स्य पालन के लिये कर्जे ..	3,43	..	20	3,23	..	20	3,03
713--बनों के लिये कर्जे ..	1,77	1,12	50	2,39	1,05	56	2,88
714--सामुदायिक विकास के लिये कर्जे ..	1,70,16	..	7,50	1,62,66	..	7,50	1,55,16

720—औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के लिये कर्जे	32,56,30	12,42,25	2,81,04	42,17,51	..	2,81,04	39,36,47
721—ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिये कर्जे ..	26,36.09	4,32,55	27,85	30,40,79	1,05	27,85	30,13,99
722—मशीनरी तथा इंजीनियरिंग उद्योग के लिये कर्जे	6,62,19	2,35,00	..	8,97,19	..	..	8,97,19
725—दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों के लिये कर्जे	2,17,10	.	..	2,17,10	..	..	2,17,10
726—उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्जे ..	77,27,59	34,73,95	..	1,12,01,54	3,50,01	..	1,15,51,55
728—खनन तथा धातु कर्म सम्बन्धी उद्योगों के लिय कर्जे ..	21,38	..	..	21,38	..	..	21,38
730—औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्जे ..	4,66,84	..	..	4,66,84	..	..	4,66,84
734—विद्युत् परियोजनाओं के लिये कर्जे ..	27,67,35,38	4,78,01,80	1,78,25	32.43,58,93	4,18,30,81	..	36,61,89,74
737—सड़कों तथा पुलों के लिये कर्जे ..	2,97,88	..	..	2,97,88	..	..	2,97,88
738—सड़क तथा जल परिवहन सेवाओं के लिये कर्जे	22,33,11	..	2,22,18	20,10,93	..	22,18	19,88,75
744—अन्य परिवहन एवं संचार सेवाओं के लिये कर्जे	60,33	..	..	60,33	..	..	60,33
766—सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे ..	11,76,63	10,90,00	3,20,00	19,46,63	5,95,00	3,90,00	21,51,63
767—प्रकीर्ण कर्जे ..	4,89,76	16,01	10	5,05,67	1,01	10	5,06,58
योग, ..	35,40,00,87	6,84,16,98	79,76,36	41,44,41,49	4,51,60,58	48,64,25	45,47,37,82

NIEPA DC
D02516

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 190 सा0 वित्त—15-3-85—(4005)—1985—2,250 (मैग0)।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi
DOC. No. D-2516
Date 4-6-85